ई -माइग्रेट

विशेष रूप से कम शिक्षित ब्लू कॉलर श्रमिकों की सुरक्षा और विदेशों में रोजगार को विनियमित करने के लिए, उत्प्रवास आवश्यक जांच प्रक्रिया को "ई-माइग्रेट" नामक एक अनूठी कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक तरफ विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना और गृह मंत्रालय के आप्रवासन ब्यूरो से तथा दूसरी तरफ 18 ईसीआर देशों में भारतीय मिशनों, विदेशी नियोक्ताओं और पंजीकृत भर्ती एजेंटों के साथ एकीकृत है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रवासियों के सभी हितधारक एक ही इलेक्ट्रॉनिक मंच पर हैं, जो "व्यापार में सुविधा" को काफी बढ़ाती है और सभी मोर्चों पर सभी हितधारकों के लिए त्वरित और आसान कार्रवाई सुनिश्चित करती है। जब भी कोई उत्प्रवासी विदेश जाने के लिए किसी हवाई अड्डे या चेक-पोस्ट पर आता है, तब उसके पासपोर्ट विवरण की आव्रजन अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पुष्टि की जाती है और केवल उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, जिन्होंने उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। यह संभावित शोषण के खिलाफ भारतीय कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उपाय है।

"ई-माइग्रेट" प्रणाली, उत्प्रवासी महा संरक्षक (प्रोटेक्टर जनरल) के अधीन काम करती है, जो विदेशों में रोजगार के लिए, विदेश जाने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या उत्प्रवासियों के संरक्षक के माध्यम से उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत दी गई शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रणाली के माध्यम से व्यवहार करते हैं।

https://emigrate.gov.in/ext/